

made

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
किसान भवन 26, अरेरा हिल्स, भोपाल

ई-मेल आईडी - niyaman.mpsamb@gmail.com

क्रमांक/बोर्ड/नियमन/मंडी अधिनियम/पार्ट/2027

भोपाल, दिनांक 12/11/2025

प्रति,

- | | |
|--|--|
| 1. संयुक्त संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
आंचलिक कार्यालय.....(समस्त)। | 2. सचिव
कृषि उपज मंडी समिति.....(समस्त) |
|--|--|

विषय:-मंडी अधिनियम संशोधन प्रकाशन के संबंध में।

संदर्भ:-मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 26 अगस्त 2025 के संबंध में।

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित मध्यप्रदेश राजपत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। विधि और विधायी कार्य विभाग के द्वारा मध्यप्रदेश जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2025 का प्रकाशन हुआ है जिसमें मध्यप्रदेश में "ईज ऑफ लिविंग और डूइंग बिजनेस" के लिए विश्वास-आधारित शासन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अपराधों के "अपराध मुक्तकरण और तर्कसंगतिकरण" के लिए कतिपय अधिनियमितियों को संशोधित किया गया है। मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 48, 49, 79 व 80 में संशोधन किया गया है। सुलभ संदर्भ हेतु छायाप्रति संलग्न है।

अतः आपके क्षेत्रांतर्गत मंडियों में आवश्यक अगामी कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न :-उपरोक्तानुसार।

(अनुराग मजसेना)

अपर प्रबंध संचालक

मप्रराज्य कृषि विपणन बोर्ड

भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/नियमन/मंडी अधिनियम/पार्ट/2028

भोपाल, दिनांक 12/11/2025

प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल।
2. अपर संचालक/संयुक्त संचालक/उप संचालक/सहायक संचालक/प्रोग्रामर, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल। वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।
3. गार्ड फाइल।

अपर प्रबंध संचालक

मप्रराज्य कृषि विपणन बोर्ड

भोपाल

इसे वेबसाईट www.govtpress.mp.gov.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 238]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 26 अगस्त 2025-भाद्र 4, शक 1947

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 26 अगस्त 2025

क्र. 8268-146-इक्कीस-अ (प्रा.)- मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 22 अगस्त 2025 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. गुप्ता, अतिरिक्त सचिव।

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १५ सन् २०२५

मध्यप्रदेश जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, २०२५

[दिनांक २२ अगस्त, २०२५ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई: अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक २६ अगस्त, २०२५ को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश में ईज ऑफ लिविंग और डूइंग बिजनेस के लिए विश्वास-आधारित शासन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अपराधों के अपराधमुक्तकरण और तर्कसंगतिकरण के लिए कतिपय अधिनियमितियों को संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम तथा
प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, २०२५ है.

(२) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जिसे मध्यप्रदेश सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और अनुसूची में उल्लिखित विभिन्न अधिनियमों से संबंधित संशोधनों के लिए अलग-अलग तारीखें नियत की जा सकेंगी.

कतिपय
अधिनियमितियों
का संशोधन.

२. अनुसूची के कॉलम (४) में उल्लिखित उपबंधों को, कॉलम (५) में वर्णित सीमा तक और वर्णित रीति में, एतद्द्वारा संशोधित किया जाता है.

व्यावृत्ति.

३. इस अधिनियम द्वारा किसी अधिनियमिती के निरसन से, किसी अन्य अधिनियमिती पर, जिसमें निरसित अधिनियमिती लागू की गई है, सम्मिलित अथवा निर्दिष्ट की गई है, प्रभाव नहीं पड़ेगा;

और यह अधिनियम, पूर्व में की गई या भुगती गई किसी बात की विधिमाम्यता, अधिमान्यता, प्रभाव या परिणाम या पूर्व में ही अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व या उसके संबंध में किसी उपचार या कार्यवाही या किसी ऋण, शारित, बाध्यता, दायित्व, दावे या मांग या उससे किसी निर्मुक्ति या उन्मोचन या पूर्व में ही अनुदत्त किसी क्षतिपूर्ति या भूतकाल में किए गए किसी कार्य या बात के सबूत पर, प्रभाव नहीं डालेगा;

और यह अधिनियम विधि के किसी सिद्धांत या नियम या स्थापित अधिकारिता, अभिव्यचन के रूप में या अनुक्रम पर, पद्धति या प्रक्रिया या विद्यमान प्रथा, रूढ़ि, विशेषाधिकार, निर्वन्धन, छूट, पद या नियुक्ति पर इस बात के होते हुए भी प्रभाव नहीं डालेगा कि वह क्रमशः किसी ऐसी अधिनियमिती द्वारा, जो कि एतद्द्वारा, निरसित की गई है, उसमें या उरसे किसी रीति में अभिपुष्ट किया गया है या मान्यता प्राप्त है या व्युत्पन्न है;

और इस अधिनियम द्वारा किसी अधिनियमिती के निरसन से किसी अधिकारिता, पद, रूढ़ि, दायित्व, अधिकार, हक, विशेषाधिकार, निर्वन्धन, छूट, प्रथा, पद्धति, प्रक्रिया या अन्य विषय या बात का, जो अब विद्यमान या प्रवृत्त नहीं है, पुनः प्रवर्तन या प्रत्यावर्तन नहीं होगा.

अनुसूची

(धारा २ देखिए)

क्रमांक	वर्ष	क्रमांक	संक्षिप्त नाम	संशोधन
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
१.	१९४८	८	मध्यप्रदेश मत्स्य अधिनियम, १९४८.	(१) धारा ३ की उपधारा (३) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :- “(३) (क) अंतर्देशीय जल में विस्फोटकों, रासायनिक पदार्थों, अग्न्यास्त्रों, धनुष-बाणों अथवा अन्य इस प्रकार के उपकरणों द्वारा मछलियों को नष्ट करना या नष्ट करने का कोई भी प्रयास करना निषिद्ध होगा; (ख) उन ऋतुओं का निर्धारण करना जिनके दौरान किसी अधिसूचित प्रजाति की मछलियों को मारना, पकड़ना अथवा विक्रय करना निषिद्ध होगा; (ग) वह न्यूनतम आकार या भार, जिससे की किसी विहित प्रजाति की मछली विहित करना जिसका कि क्रय नहीं किया जाएगा;

क्रमांक	वर्ष	क्रमांक	संक्षिप्त नाम	संशोधन
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)

(घ) इस अधिनियम के अधीन विहित किए गए नियमों के अधीन निर्धारित न्यूनतम जाल आकार से छोटे जाल का उपयोग कर मछली पकड़ने पर निषेध रहेगा.

(ङ) बिना पट्टा मछली पकड़ना प्रतिबंधित होगा.”.

(२) धारा ५ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:-

“५ शास्तियां.-

(१) कोई भी व्यक्ति, जो धारा ३ की उपधारा (३) के खण्ड (क) के उपबंधों का उल्लंघन करता है, वह दोषसिद्धि पर ऐसे कारावास की अवधि से जो एक वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा.

(२) यदि, कोई व्यक्ति धारा ३ की उपधारा (३) के खण्ड (ख) में उल्लिखित उपबंध का उल्लंघन करता है, तो वह ऐसी शारित का जो दो लाख रुपये तक की होगा सकेगी, दायी होगा तथा धारा ३ की उपधारा (३) के खण्ड (ग), (घ) एवं (ङ) में वर्णित अपराधों के लिए, वह ऐसे शास्ति, का जो रुपये पचास हजार तक की हो सकेगी, दायी होगा जो संचालक मस्योद्योग अथवा किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधिरोपित की जाएगी.”.

(३) धारा ५-क के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:-

“५-क अपराध का संज्ञान.-

इस अधिनियम के अधीन धारा ३ की उपधारा (३) के खण्ड (क) में वर्गीकृत अपराध संज्ञेय होंगे.”.

(४) धारा ८ लोप किया जाए.

२. १९४८ १ मध्यप्रदेश एग्रीकल्चर
देअरहाउस एक्ट, १९४७.

(१) धारा २३ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :-

“२३. शास्ति.- (१) कोई भी व्यक्ति जो जानकारी रहते और जानबूझकर, इस अधिनियम की धारा १५, धारा १६ तथा धारा १८ अथवा इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों या अपेक्षाओं का उल्लंघन करता है, तो उसे दोषसिद्धि पर मजिस्ट्रेट द्वारा ३ वर्ष तक के कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किए जाने का दायी होगा:

परन्तु, इस अधिनियम के अधीन अपराध, न्यायालय की सहमति से शमनीय होंगे.

(२) जो कोई भी व्यक्ति जानकारी रहते हुए या जानबूझकर, इस अधिनियम की धारा १५, १६ तथा १८ या इसके अधीन बने नियमों से भिन्न उपबंधों या अपेक्षाओं का उल्लंघन करता है तो वह इस अधिनियम की अनुसूची में यथाविहित सक्षम प्राधिकारी द्वारा शारित अधिरोपित किए जाने का दायी होगा.

(२) धारा २४ के पश्चात् निम्नलिखित धारा जोड़ी जाए, अर्थात्:-

“२५. अपील.- (१) कोई भी भंडारी जो इस सक्षम प्राधिकारी द्वारा शारित आदेश से व्यथित होता है तो उक्त आदेश जारी होने से ३० दिवस के भीतर आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, संचालनालय, भोपाल के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकेगा.

क्रमांक	वर्ष	क्रमांक	संक्षिप्त नाम	संशोधन
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)

(२) यदि कोई भण्डारी, आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय, भोपाल द्वारा जारी किसी आदेश से व्यथित होता है तो उक्त आदेश के जारी होने से ४५ दिवस के भीतर अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मध्यप्रदेश शासन, के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकेगा.”.

(३) धारा २५ के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची जोड़ी जाए, अर्थात्:-

अनुसूची-१

क्रमांक	धारा	उपधारा	उपबंध	सक्षम प्राधिकारी	पेनाल्टी के उपबंध
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
१.	०३	(२)	मध्यप्रदेश कृषि भण्डारगृह अधिनियम, १९६७ के अंतर्गत विना अनुज्ञप्ति के भण्डारगृह का व्यवसाय करना.	आयुक्त/संचालक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	५००० मे.टन क्षमता तक के गोदामों पर ०१ लाख रुपये तक ५००० मे.टन से अधिक क्षमता के गोदामों पर ३ लाख रुपये तक
		(३)	लाईसेंस के नवीनीकरण हेतु आवेदन नहीं करने पर (वैधता अवधि की समाप्ति के तीन माह तक) लाईसेंस के नवीनीकरण हेतु आवेदन नहीं करने पर (वैधता अवधि की समाप्ति के तीन माह बाद से छह माह तक) लाईसेंस के नवीनीकरण हेतु आवेदन नहीं करने पर (वैधता अवधि की समाप्ति के छह माह के बाद)	आयुक्त/संचालक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	रु. ५ हजार तक रु. १० हजार तक
२.	१२	-	जमाकर्ता द्वारा जमा की गई उपज की किराया राशि के भुगतान सहित वेयरहाउस रसीद को देते हुये उपज को लौटाने की मांग करने पर वैधानिक कारण के अभाव में भण्डारी द्वारा विलंब से उपज को लौटाने पर.	कलेक्टर	लाईसेंस का निरस्तीकरण दिलंबित अवधि का सम्पूर्ण भण्डारण शुल्क राशि एवं भुगतान योग्य स्कंध की वास्तविक राशि का ०३ प्रतिशत तक
३.	१३	-	गोदाम में भंडारित उपज का विहित उपबंध अनुसार बीमा नहीं कराया जाना.	कलेक्टर	गोदाम में भण्डारित उपज की राशि हेतु निर्धारित मासिक प्रीमियम राशि का पांच गुना राशि तक.

क्रमांक	वर्ष	क्रमांक	संक्षिप्त नाम	संशोधन
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
३.	१९५६	२३	मध्यप्रदेश नगरपालिका निगम अधिनियम, १९५६	(१) धारा १९५ में, उपधारा (५) में, शब्द "जुर्माना" जहां कहीं भी आया हो के स्थान पर, शब्द "शास्ति" स्थापित किया जाए.
४.	१९६१	३७	मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१	(१) धारा २०८ में, उपधारा (५) में, शब्द "जुर्माना" जहां कहीं भी आया हो के स्थान पर, शब्द "शास्ति" स्थापित किया जाए.
५.	१९७१	५	मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम, १९७०	(१) धारा ३५ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:- "३५. शास्ति.- जो कोई जानबूझकर या मिथ्या रूप से अपने नाम के साथ कोई ऐसी उपाधि या लक्षण धारण करेगा या उपयोग में लाएगा जिससे कि यह विवक्षित होता हो कि वह मान्य अर्हता धारण करता है या कि वह रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी है या कि उसका नाम धारा २८ के अधीन बनाए रखी गई सूची में प्रविष्ट है, अथवा धारा ३४ के उपबंधों के उल्लंघन में कार्य करेगा, वह प्रथम उल्लंघन के लिए ऐसी शास्ति ले, जो पचास हजार रुपये तक की हो सकेगी और प्रत्येक पश्चात्पूर्ती उल्लंघन के लिए ऐसी शास्ति से जो एक लाख तक की हो सकेगी, दायी होगा."
६.	१९७३	२४	मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, १९७२.	(१) धारा ४८, के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:- "४८. धारा ६ या धारा ३१ या धारा ३७ की उपधारा (२) के उल्लंघन के लिए शास्ति.- (१) जब मंडी समिति के सचिव के संज्ञान में आता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा धारा ६ की उपधारा (ख) या धारा ३१ के उपबंधों का उल्लंघन किया गया है तब समुचित जांच करने और संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, पहले उल्लंघन के लिए रुपये एक लाख तक की शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी और ऐसी राशि की वसूली की जाएगी. पश्चात्पूर्ती उल्लंघन पर, दोषसिद्ध होने पर, उसे अधिकतम छह माह तक का कारावास या एक लाख रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा. (२) जो कोई धारा ३७ की उपधारा (२) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा, वह दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा और चालू रहने वाले उल्लंघन की दशा में ऐसे और जुर्माने से दंडित किया जाएगा जो प्रथम दोषसिद्धि के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जिसके कि दौरान उल्लंघन चालू रहा है, एक हजार रुपये तक हो सकेगा: परंतु न्यायालय के निर्णय में विशेष तथा पर्याप्त प्रतिकूल कारणों के वर्णित न होने पर द्वितीय या किसी पश्चात्पूर्ती अपराध के लिए दंड तीन मास की अवधि के कारावास तथा पांच हजार रुपये के जुर्माने से कम नहीं होगा."
				(२) धारा ४९ में,- (एक) उपधारा (१) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:-

क्रमांक	वर्ष	क्रमांक	संक्षिप्त नाम	संशोधन
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)

“(१) (क) जो कोई व्यक्ति धारा ३५ के उपबंधों का उल्लंघन करता है, वह पांच हजार रुपये की शर्त का दायी होगा तथा पश्चात्पूर्ती उल्लंघन के लिए रुपये एक हजार प्रतिदिन की शर्त अधिरोपित की जा सकेगी, जब तक कि ऐसा उल्लंघन जारी रहता है। इस उल्लंघन के कारण जो वित्तीय क्षति हुई है, वह वसूली जाएगी;

(ख) यदि ऐसा उल्लंघन मंडी समिति के सचिव के अधीन कार्यरत किसी व्यक्ति द्वारा कारित किया गया हो, तो उस पर सचिव द्वारा शर्त अधिरोपित की जाएगी;

(ग) यदि ऐसा उल्लंघन, मंडी समिति के सचिव द्वारा कारित किया गया हो, तो उस पर मंडी बोर्ड के प्रबंध संचालक द्वारा शर्त अधिरोपित की जाएगी.”

(दो) उपधारा (२) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:-

“(२) जो कोई मंडी समिति द्वारा मंजूर की गयी अनुज्ञप्ति की किसी शर्त का उल्लंघन करता है, तो वह ऐसी शर्त का दायी होगा, जो रुपये पांच हजार तक की हो सकेगी, जो मंडी समिति सचिव द्वारा अधिरोपित की जाएगी.”

(तीन) उपधारा (४) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:-

“(४) यदि मंडी समिति का कोई अधिकारी, सेवक या सदस्य, जबकि वह मंडी समिति के कार्यकलापों या कार्यवाहियों के बारे में जानकारी देने के लिए धारा ५४ की उपधारा (१) के खंड (क) के अधीन अपेक्षित किया जाए,-

(क) कोई जानकारी देने में जानबूझकर उपेक्षा करेगा या कोई जानकारी देने से इंकार करेगा; या

(ख) जानबूझकर मिथ्या जानकारी देगा, तो वह शर्त से, जो रुपये एक लाख तक की हो सकेगी, दायी होगा।

(चार) उपधारा (६) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:-

“(६) कोई भी व्यक्ति, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या उपविधियों के उपबंधों के अधीन मंडी समिति को शोथ किसी फीस या अन्य राशि के भुगतान में कपटपूर्वक अपवंचन करेगा या किसी तुल्यो या हम्माल को पारिश्रमिक लेखे शोथ भुगतान करने में अपवंचन या अपने नियोजन के लिए पारिश्रमिक की मांग विक्रेता अथवा क्रेता के प्राधिकार के बिना करेगा या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों और उपविधियों के अनुसार न मांग कर अन्य प्रकार से पारिश्रमिक की मांग करेगा, वह उस पर, मंडी समिति के सचिव द्वारा अधिरोपित शर्त से, जो रुपये पांच हजार तक की हो सकेगी का दायी होगा और पश्चात्पूर्ती उल्लंघन की स्थिति में, ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जब तक ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, रुपये एक हजार प्रतिदिन की शर्त अधिरोपित की जा सकेगी:

क्रमांक	वर्ष	क्रमांक	संक्षिप्त नाम	संशोधन
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)

परन्तु कुल शास्ति राशि, वास्तविक बकाया राशि की पाँच गुना से अधिक नहीं होगी."

(पाँच) उपधारा (७) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:-

“(७) जो कोई इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाए गए नियमों या उपविधियों में से किसी भी नियम या उपविधि के किसी ऐसे उपबंध का उल्लंघन करेगा, जिस के लिए कोई अन्य शास्ति उपबंधित न की गई हो, वह रुपये पाँच हजार तक की शास्ति का दायी होगा, जो मंडी समिति के सचिव द्वारा, अधिरोपित की जाएगी.”

(३) धारा ७६ की उपधारा (३) का लोप किया जाए.

(४) धारा ८० की उपधारा (३) का लोप किया जाए.

७. १९७३ ४६ मध्यप्रदेश उपचारिका, प्रसविका, सहाय उपचारिका, प्रसविका तथा स्वास्थ्य परिदर्शक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७२.

(१) धारा २३ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :-

“२३. इस अधिनियम में उपबंधित के सिवाय व्यवसाय का प्रतिषेध:-

(१) जब तक कि इस अधिनियम के अधीन अधिकृत न हो, कोई भी व्यक्ति राज्य के भीतर नर्स, प्रसविका, सहायक नर्स-प्रसविका, स्वास्थ्य पर्यवेक्षक के रूप में नियमित रूप से या व्यक्तिगत लाभ हेतु व्यवसाय नहीं करेगा.

(२) जो कोई व्यक्ति उपधारा (१) के उपबंधों का उल्लंघन करता है-

(१) यदि उसके पास मान्यता प्राप्त योग्यता है, परन्तु वह परिषद् में पंजीकृत नहीं है, तो,-

(क) प्रथम उल्लंघन पर, वह ऐसी शास्ति का दायी होगा, जो रुपये दस हजार तक की हो सकेगी, जो रजिस्ट्रार द्वारा अधिरोपित की जा सकेगी.

(ख) द्वितीय तथा पश्चात्पूर्ती उल्लंघनों पर, वह रजिस्ट्रार द्वारा अधिरोपित ऐसी शास्ति का दायी होगा, जो परिषद् में पंजीकरण हेतु निर्धारित तीस दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात्, यदि उल्लंघन जारी रहता है प्रतिदिन पाँच सौ रुपये तक की हो सकेगी.”

८. १९७३ ४७ मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा सजोपचार संबंधी स्थापनायें (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम, १९७३.

(१) धारा ८ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :-

“८. अधिनियम के अंतर्गत अपराधों के लिए शास्तियाँ:-

कोई व्यक्ति-

(१) जो धारा ३ के उपबंधों का उल्लंघन करता है; या

(२) जो धारा ७ की उपधारा (२) के उपबंधों का उल्लंघन करता है; या

(३) जो कोई इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त किसी नर्सिंग होम या नैदानिक प्रतिष्ठान के संबंध में अनुज्ञापिधारी होते हुए, ऐसे नर्सिंग होम या नैदानिक प्रतिष्ठान का उपयोग असामाजिक या अनैतिक कार्यों अथवा दोनों के लिए करता है या करने देता है, उस पर उल्लंघन के सत्यापित प्रमाण के आधार पर,-

(एक) प्रथमवार उल्लंघन पर, पर्यवेक्षी प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित रुपये एक लाख तक की शास्ति का दायी होगा.

क्रमांक	वर्ष	क्रमांक	संक्षिप्त नाम	संशोधन
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)

(दो) दूसरी बार की दोषसिद्धि या पश्चात्पूर्ती अपराध पर या पश्चात्पूर्ती अपराध के लिए वह कठोर कारावास से दण्डनीय होगा, जिसकी अवधि तीन माह तक की हो सकेगी और इसके अतिरिक्त वह जुर्माने से जो दोषसिद्धि के पश्चात् अपराध चालू रहने वाले प्रत्येक दिन के लिए एक हजार रुपये तक का हो सकेगा।”

(२) धारा ८८ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:-
“८८. कमियों के लिए शास्ति.- कोई भी व्यक्ति जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है जिसके परिणामस्वरूप ऐसी कमियाँ होती हैं जो किसी रोगी के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए आसन्न खतरा उत्पन्न करती हैं, जिन्हें उचित समयावधि में सुधारा जा सकता है, वह पर्यवेक्षी प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित ऐसी शास्ति का दायी होगा जो बीस हजार रुपये तक की हो सकेगी।”

(३) धारा १० के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:-
“(१०) अनुज्ञापन या अपंजीकृत नर्सिंग होम अथवा रुजोपचार स्थापनाओं में सेवा देने पर शास्ति.- जो कोई व्यक्ति जानबूझकर ऐसे नर्सिंग होम अथवा रुजोपचार संबंधी स्थापना में सेवा देता है, जो इस अधिनियम के अधीन सम्यक् रूप से पंजीकृत या अनुज्ञापित नहीं है, अथवा जिसका उपयोग असामाजिक अथवा अनैतिक प्रयोजनों के लिए किया जा रहा है, वह पर्यवेक्षी प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित ऐसी शास्ति का दायी होगा जो दस हजार रुपये तक की हो सकेगी।”

६. १९७६ १६ मध्यप्रदेश होम्योपैथी परिषद् अधिनियम, १९७६.

धारा ५० के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:-
“(५०) शास्ति.-
कोई भी व्यक्ति, जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के किसी भी उपबंध का उल्लंघन करता है, तो ऐसे उल्लंघन पर, उस व्यक्ति पर पहली बार के उल्लंघन पर रुपये बीस हजार तक की शास्ति अधिरोपित किए जाने का दायी होगा और यदि ऐसा उल्लंघन किसी संस्था द्वारा किया गया हो, तो उस संस्था का प्रत्येक ऐसा सदस्य, जिसने जानते-बूझते या स्वेच्छा से उस उल्लंघन को अनुमोदित किया हो या इसकी अनुमति दी हो, उस पर पहली बार के उल्लंघन हेतु रुपये पचास हजार तक की शास्ति तथा प्रत्येक पश्चात्पूर्ती उल्लंघन के लिए रुपये एक लाख तक की शास्ति अधिरोपित की जाएगी।”

१०. १९६० ११ मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, १९६७.

धारा २४ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:-
“२४. शास्ति.-

(१) यदि कोई व्यक्ति, जिसके पास मान्यता प्राप्त चिकित्सकीय योग्यता है, परन्तु जिसका नाम इस अधिनियम के स्थापित उपबंध अनुसार नामांकित नहीं है, मध्यप्रदेश राज्य में चिकित्सकीय व्यवसाय करता है, तो,-

(क) प्रथम उल्लंघन पर, वह रजिस्ट्रार द्वारा अधिरोपित ऐसी शास्ति का दायी होगा, जो एक लाख रुपये तक की हो सकेगी।

क्रमांक	वर्ष	क्रमांक	संक्षिप्त नाम	संशोधन
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
११.	१९९१	२५	मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान, अधिनियम, १९९१.	(ख) द्वितीय तथा पश्चात्पूर्व उल्लंघनों पर, वह रजिस्ट्रार द्वारा अधिरोपित ऐसा शास्ति का दायी होगा, जो उस उल्लंघन के जारी रहने की तारीख से निर्धारित साठ दिवस की अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए दो हजार रुपये तक की हो सकेगी. (२) यदि कोई व्यक्ति जिसके पास मान्यता प्राप्त चिकित्सकीय योग्यता नहीं है और जिसका नाम इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नामांकित नहीं है, अथवा जो इस अधिनियम के अधीन झूठा दावा करता है कि उसके पास मान्यता प्राप्त योग्यता या पंजीकरण है, मध्यप्रदेश राज्य में चिकित्सकीय व्यवसाय करने पर, कठोर कारावास, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, तथा जुर्माने से जो दो लाख रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा." (१) धारा १२ का लोप किया जाए. (२) धारा १७ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:- "१७. इस अधिनियम अथवा नियमों के किन्हीं उपबंधों के भंग के लिए सामान्य उपबंध.- कोई व्यक्ति जो अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, वह ऐसी शास्ति अधिरोपित किए जाने का दायी होगा जो रुपये एक सौ का होगी और किसी द्वितीय या उसके पश्चात्पूर्व उल्लंघन के लिए ऐसी शास्ति जो रुपये तीन सौ तक हो सकेगी अधिरोपित किए जाने का दायी होगा." (१) धारा ५५ की उपधारा (३-क) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:- "(३-क) उपधारा (३) में अन्तर्दिष्ट किसी बात के होते हुए भी, जो कोई इस धारा के किन्हीं उपबंधों का या उसके अधीन बनाए गए नियमों या उपविधियों का या ग्राम पंचायत द्वारा मंजूर की गई अनुज्ञा की शर्तों का उल्लंघन करता है या उपरोक्त में से किन्हीं उपबंधों के अधीन दिए गए किन्हीं विधिपूर्ण निदेशों या अध्यापिकाओं का पालन करने में असफल रहता है, तो वह ग्राम पंचायत द्वारा या इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अभियोजित किया जा सकेगा और दोषमिति पर वह साधारण कारावास में जो छह मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा और अपराध के चालू रहने की दशा में ऐसे और जुर्माने से जो प्रथम दोषमिति की तारीख के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए जिसको कि अपराध चालू रहता है, दो सौ पचास रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा: परन्तु, यदि अनधिकृत निर्माण, भारतीय न्याय संहिता, २०२३ (२०२३ का ४५) की परिभाषा के अनुसार, लोक-यात्रा का वाहन नहीं है और न ही मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, २०१२ (जहां लागू हैं) का उल्लंघन करता है और अधिसूचित पर्यावरणीय सुरक्षा या अधोमरचनात्मक प्रतिबंधों का उल्लंघन नहीं करता, तो ग्राम पंचायत या राज्य सरकार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा, ऐसे उल्लंघन का शमन, ऐसी शुल्क का भुगतान,
१२.	१९९४	१	मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, १९९३.	

क्रमांक	वर्ष	क्रमांक	संक्षिप्त नाम	संशोधन
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)

ऐसी दर पर और ऐसी शर्तों के अधीन प्राप्त कर किया जा सकेगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए.”

(२) धारा ५६ में, उपधारा (१) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:-

“(१) कोई भी जो, ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर किसी सार्वजनिक मार्ग या खुले स्थलों पर या ऐसे मार्ग पर स्थित किसी नाली पर:-

(क) किसी दीवार, बाड़ा, जंगले, खम्भे, स्टाल, बरामदे, चबूतरे, कुर्सी, सीढ़ी या कोई अन्य संरचना का निर्माण करके या बनाकर; या

(ख) ग्राम पंचायत की लिखित, अनुज्ञा के बिना या ऐसी अनुज्ञा में उल्लिखित शर्तों के प्रतिकूल कोई बरामदा, छज्जा, कमरा या अन्य किसी संरचना का निर्माण इस प्रकार करके कि जिससे वह किसी सार्वजनिक सड़क पर या ऐसी सड़क पर स्थित किसी नाली पर आगे निकला हुआ प्रभावित हो; या

(ग) किसी स्थल से मिट्टी, रेत या अन्य सामग्री अपराधिक रूप से हटाकर; या

(घ) किसी चरागाह या अन्य भूमि में अप्राधिकृत रूप से खेती करके कोई रुकावट बाधा या अधिक्रमण करेगा;

ग्राम पंचायत, जाँच के पश्चात्, ऐसे कृत्य के कर्ता पर, ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जो रुपये पाँच हजार तक की हो सकेगी और ऐसा कृत्य बानू रहने के मामले में, ऐसी और शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी, जो प्रथमवार अधिरोपित शास्ति की तारीख के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसे कृत्य की पुनरावृत्ति करता है, रुपये दो सौ तक की हो सकेगी.”

(३) धारा ६० के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:-

“६०. जनपद पंचायत में विहित सड़क तथा भूमि पर अधिक्रमण.- (१) जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को जनपद पंचायत में निहित किसी सड़क, मार्ग, भूमि, भवन या संरचना पर से बाधा या अधिक्रमण हटाने की शक्ति होगी. हटाये जाने के व्ययों का संदाय उस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा, जो ऐसी बाधा खड़ी करने या अधिक्रमण करने के लिए उत्तरदायी है और पाँच हजार रुपये तक की शास्ति का बाँबी होगा. यदि ऐसा व्यक्ति बाधा या अधिक्रमण हटाने के व्ययों का संदाय और/या शास्ति की राशि का भुगतान करने में असफल रहता है, तो ऐसा संपूर्ण राशि भू-राजस्व के बकाया के तौर पर वसूली योग्य होगी:

परन्तु ऐसी बाधा या अधिक्रमण को हटाने की कार्यवाही करने के पूर्व, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी लिखित सूचना द्वारा, उस व्यक्ति से, जिसने ऐसी बाधा खड़ी की है या अधिक्रमण किया है, वह अपेक्षा कर सकेगा कि वह सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर उसे हटा ले या इस संबंध में कारण दर्शित करे कि उसे क्यों न हटा दिया जाए.

क्रमांक	वर्ष	क्रमांक	संक्षिप्त नाम	संशोधन
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
				(२) इस धारा में की कोई बात, किसी जनपद पंचायत को लौहारों तथा अवसरों पर ऐसी कालावधि के लिए, जो वह उचित समझे, उपधारा (२) में उल्लिखित स्थानों का, ऐसी रीति में जिससे जनता को या किसी भी व्यक्ति को असुविधा न हो, अस्थायी रूप से अधिभोग करने या उस पर कोई परिनिर्माण करने की अनुज्ञा देने से निवारित नहीं करेगा." (४) धारा १०२ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:- "१०२. पंचायतों के सदस्य आदि को बाधा पहुँचाने का प्रतिषेध.- कोई भी व्यक्ति जो पंचायत के किसी सदस्य, पदधारी या सेवक को या किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके साथ किसी पंचायत द्वारा या उसकी ओर से कोई संविदा की गई है, उसके कर्तव्य के निर्वहन में या कोई ऐसी बात करने में जिसे करने के लिए वह सशक्त है, बाधा पहुँचाएगा, वह जाँच के पश्चात्, विहित प्राधिकारी द्वारा ऐसे कृत्य का कर्ता पाया जाने पर, ऐसी शास्ति का जो दो हजार रुपये तक की हो सकेगी, दायी होगा." (५) धारा १०३ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:- "१०३. सूचना को हटाने या मिटाने का प्रतिषेध.- कोई भी व्यक्ति, जो पंचायत या उसके किसी अधिकारी द्वारा या उसके आदेशों के अधीन प्रदर्शित की गई किसी सूचना को या परिनिर्मित किये गए किसी संकेत या चिन्ह को उस निमित्त किसी प्राधिकार के बिना हटाएगा, विनष्ट करेगा या विरूपित करेगा या अन्य प्रकार से मिटायेगा, वह जाँच के पश्चात्, विहित प्राधिकारी द्वारा ऐसे कृत्य का कर्ता पाया जाने पर, ऐसी शास्ति का, जो एक हजार रुपये तक की हो सकेगी, दायी होगा." (६) धारा १०४ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:- "१०४. जानकारी न देने या मिथ्या जानकारी देने के लिए शास्ति.- कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा उसके अधीन जारी की गई किसी सूचना या किसी अन्य आदेशिका द्वारा कोई जानकारी देने के लिए अपेक्षित किया गया है, ऐसी जानकारी देने का लोप करेगा या जानबूझकर मिथ्या जानकारी देगा, वह जाँच के पश्चात्, विहित प्राधिकारी द्वारा ऐसे कृत्य का कर्ता पाया जाने पर, ऐसी शास्ति का जो एक हजार रुपये तक की हो सकेगी, दायी होगा." (७) धारा १०६ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:- "१०६. किसी भी पंचायत को नुकसान की प्रतिपूर्ति किए जाने की प्रक्रिया.- यदि किसी कार्य, उपेक्षा या व्यतिक्रम द्वारा जिसके कारण किसी व्यक्ति ने इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अधिरोपित कोई शास्ति उपगत की है और किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किसी पंचायत की सम्पत्ति को कोई नुकसान पहुँचाया गया है, तो वह ऐसे नुकसान की प्रतिपूर्ति करने और साथ ही ऐसी शास्ति का संदाय करने के लिए दायी होगा और विवाद के मामले में नुकसान का मूल्य उस, विहित प्राधिकारी द्वारा अवधारित किया जाएगा, जिसने ऐसी शास्ति उपगत करने वाले

क्रमांक	वर्ष	क्रमांक	संक्षिप्त नाम	संशोधन
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)

१३.	२००२	१५	मध्यप्रदेश जन शिक्षा अधिनियम, २००२.	व्यक्ति को उक्त कृत्य के लिए जिम्मेदार पाया है, और ऐसे मूल्य का संदाय न किया जाने पर, वह राशि भू-राजस्व के बकाया के तौर पर वसूली योग्य होगी." धारा ४ में, उपधारा (२) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:- "(२) कोई व्यक्ति जो उपधारा (१) के उपबंधों का उल्लंघन करता है, वह ऐसी शास्ति का दायी होगा जो ग्राम सभा या स्थानीय निकाय द्वारा, उक्त व्यक्ति को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, अधिरोपित रूप एक हजार तक की हो सकेगी. मतभेद की दशा में संबंधित पक्षकार वे विहित प्रक्रिया के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे:- (क) ग्राम सभा के लिए अनुविभागीय दण्डाधिकारी (ख) नगरीय निकाय के लिए (नगरपालिका और नगर पंचायत) अनुविभागीय दण्डाधिकारी (ग) नगर निगम के लिए - कलेक्टर संबंधित प्राधिकारी, सम्यक् प्रशासनिक प्रक्रिया का पालन करते हुए आदेश पारित करेगा."
१४.	२००५	१	मध्यप्रदेश ग्रामीण अवसंरचना तथा सड़क विकास अधिनियम, २००५.	धारा ११ में, उपधारा (३) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:- "(३) राज्य सरकार इस धारा के अधीन किसी नियम को बनाते समय यह उपबंध कर सकेगी कि ऐसे नियम के उल्लंघन पर ऐसी शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी जो रुपये पांच हजार तक की हो सकेगी, और निरंतर उल्लंघन की दशा में, ऐसे निरंतर उल्लंघन के लिए प्रथम उल्लंघन की तारीख से प्रत्येक दिन के लिए ऐसी शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी जो रुपये पांच सौ तक हो सकेगी."
१५.	२०१०	३	मध्यप्रदेश फलपौध रोपणी (विनियमन) अधिनियम, २०१०.	(१) धारा १४ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:- "१४. शास्तियाँ यदि कोई व्यक्ति - (क) इस अधिनियम के किसी उपबन्ध का अथवा इसके अधीन बनाए गए किसी नियम का, जिसका उल्लंघन इस धारा के अधीन शास्ति योग्य है, उल्लंघन करता है; या (ख) इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त कोई अधिकार प्रयोग करने या कोई कर्तव्य पालन करने वाले किसी अधिकारी अथवा व्यक्ति के कार्य में बाधा पहुँचाता है, तो वह ऐसे उल्लंघन के लिए ऐसी शास्ति का जो रुपये पाँच हजार तक की हो सकेगी का दायी होगा." (२) धारा १७ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:- "(१७) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी भी अपराध का विचारण सम्यन्धित अनुविभागीय दण्डाधिकारी (एम.डी.एम.) राज्य न्यायालय द्वारा किया जाएगा."

क्रमांक	वर्ष	क्रमांक	संक्षेप नाम	संशोधन
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
१६.	१९५४	१६	मध्यप्रदेश एनार्टोमी अधिनियम, १९५४.	धारा ६ का लोप किया जाए.
निम्नलिखित अधिनियम निरस्त किए जाने हेतु प्रस्तावित हैं, अर्थात्:-				
१.	१९४७	४०	मध्यप्रदेश कपास (सांख्यिकी) अधिनियम, १९४७.	अधिनियम निरस्त किया जाए.
२.	१९५४	१७	मध्यप्रदेश कपास नियंत्रण अधिनियम, १९५४.	अधिनियम निरस्त किया जाए.
३.	१९५६	११	मध्यप्रदेश भारत कृषि उपज तौल विनियमन अधिनियम, १९५६.	अधिनियम निरस्त किया जाए.
४.	१९६८	२३	मध्यप्रदेश चेचक टीका अधिनियम, १९६८.	अधिनियम निरस्त किया जाए.

भोपाल, दिनांक 26 अगस्त 2025

क्र. 8268-146-इक्कीस-अ (प्रा.)- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2025 (क्रमांक 15 सन् 2025) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. गुप्ता, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

NO. 15 OF 2025

THE MADHYA PRADESH JAN VISHWAS (AMENDMENT OF PROVISIONS)
ACT, 2025

[Received the assent of the Governor on the 22nd August, 2025; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 26th August, 2025.]

An Act to amend certain enactments for decriminalising and rationalising offences and to further enhance trust-based governance for case of living and doing business.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Seventy-sixth year of the Republic of India as follows :-

Short title and
commencement

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2025.

(2) It shall come into force on such date, as the Government of Madhya Pradesh may, by notification in the Official Gazette appoint; and different dates may be appointed for amendments relating to different enactments mentioned in the Schedule.

Amendment
of certain
enactments.

2. The enactments mentioned in column (4) of the Schedule are hereby amended to the extent and in the manner mentioned in column (5) thereof.

Savings.

3. The amendment or omission or repeal by this Act of any enactment shall not affect any other enactment in which the amended or omitted or repealed enactment has been applied incorporated or referred to;

and this Act shall not affect the validity, invalidity, effect or consequences of anything already done or suffered, or any right, title, obligation or liability already acquired, accrued or incurred or any remedy or proceeding in respect thereof, or any release or discharge of, or from any debt, penalty, obligation, liability, claim or demand, or any indemnity already granted, or the proof of any past act or thing,

nor shall this Act affect any principle or rule of law, or established jurisdiction, form or course of pleading, practice or procedure, or existing usage, custom, privilege, restriction, exemption, office or appointment, notwithstanding that the same respectively may have been in any manner affirmed, or recognised or derived by, in or from any enactment hereby amended or repealed;

nor shall the amendment or repeal by this Act of any enactment revive or restore any jurisdiction, office, custom, liability, right, title, privilege, restriction, exemption, usage, practice, procedure or other matter or thing not now existing or in force.

THE SCHEDULE

(See Section 2)

S.No.	Year	No.	Short Title	Amendments
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	1948	8	Madhya Pradesh Fisheries Act, 1948	(1) For sub-section (3) of Section 3, the following sub-section shall be substituted, namely:- "(3) (a) prohibit the destruction of, or any attempt to destroy, fishes by explosives, chemical, gun, bow, arrow or the like in inland waters; (b) prescribe the seasons during which the killing, catching or sale of fish of any prescribed species shall be prohibited; (c) prescribe a minimum size or weight below which no fish of any prescribed species shall be sold; (d) fishing with a net having a smaller mesh than that prescribed under the rules made under this Act; (e) prohibit fishing without a lease." (2) For Section 5, the following section shall be substituted, namely:- "5. Penalties,- (1) If any person who contravenes any of the provisions of clause (a) of sub-section (3) of Section 3 shall be punishable on conviction imprisonment for a term which may extend to one year. (2) If any person who contravenes the provision mentioned in clause (b) of sub-section (3) of Section 3 shall be liable to pay a penalty which may extend to rupee two lakhs and for offence mentioned in clause (c) (d) and (e) of sub-section (3) of Section 3 shall be liable to pay a penalty which may extend to rupees fifty thousand, imposed by the Director of Fisheries or any authorized officer." (3) For Section 5-A, the following section shall be substituted, namely:- "5-A. Cognizance of offence.- Offence under this Act, classified in clause (a) of sub-section (3) of Section 3 shall be cognizable." (4) Section 8 shall be omitted.
2.	1948	1	Madhya Pradesh Agriculture Warehouse Act, 1947	(1) For Section 23, the following section shall be substituted, namely:-

S.No.	Year	No.	Short Title	Amendments
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

"23. Penalty. (1) Any person who knowingly and willfully infringes provisions or requirements of Section 15, 16 and 18 of this Act or the rules made thereunder, above said sections shall, on conviction by a magistrate, be liable to be punished with imprisonment for a term which may extend to three years, or with fine, or with both:

Provided that an offerice under this Act shall be compoundable with permission of the court.

(2) If a person who knowingly and willfully infringes any of the provisions or requirements of the provisions other than Section 15, 16 and 18 of this Act or the rules made thereunder shall be liable to be imposed such penalty by the competent authority as provided in Schedule to this Act."

(2) After Section 24, the following section shall be added, namely:-

"25. Appeal.- (1) If a warehouseman is aggrieved with the order passed by the competent authority, he may prefer an appeal before the Commissioner, Directorate of Food, Civil Supplies and Consumer Protection, Bhopal, within 30 days from the issuance of the said order.

(2) If a warehouseman is aggrieved with the order passed by the Commissioner, Directorate of Food, Civil Supplies and Consumer Protection, Bhopal, he may prefer an appeal before Additional Chief Secretary/Principal Secretary, Department of Food, Civil Supplies and Consumer Protection, Government of Madhya Pradesh within 45 days from the issuance of the said order."

(3) After Section 25, the following Schedule shall added, namely:-

" SCHEDULE
[See Section 23(2)]

S.No.	Section	Sub-Section	Provision	Competent Authority	Penalty Provision
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	3	(2)	Carrying out the business of a warehouseman without a license granted under the Madhya Pradesh Agricultural Warehousing Act, 1947.	Commissioner/ Director, Food, Civil Supplies and Consumer Protection	Up to Rupees 1 lakh for the warehouses holding capacity up to 5000 metric tone. Up to Rupees 3 lakh for the warehouses holding capacity more than 5000 metric tone.
		(3)	In case of not applying for renewal of license (up to three months after expiry of validity period).	Commissioner/ Director, Food, Civil Supplies and Consumer Protection	Up to Rupees 5,000
			In case of not applying for renewal of license (between 3 to 6 months after expiry of validity period).		Up to Rupees 10,000
			In case of not applying for renewal of license (6 months after expiry of validity period).		Cancellation of License
2.	12	-	In the absence of any lawful the produce by the excuse, delaying the delivery of warehouseman to the depositor the after surrendering the warehouse receipt with the payment of charges due and demanding the delivery of the produce by the depositor.	Collector	Full storage charges for delay period and up to 3% of Actual payable value for the deliverable stock.
3.	13	-	In case of not insuring the stored produce in warehouse as per prescribed norms.	Collector	Up to 5 times the amount of monthly premium installment of insured stored stock value."

S.No. (1)	Year (2)	No. (3)	Short Title (4)	Amendments (5)
3.	1956	23	Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956	in Section 195, in sub-section (5), for the word "fine" wherever it occurs the word "penalty" shall be substituted.
4.	1961	37	Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961	in Section 208, sub-section (5), for the word "fine" wherever it occurs the word "penalty" shall be substituted.
5.	1971	5	Madhya Pradesh Ayurvedic, Unani Tatha Prakritik Chikitsa Vyavsayi Adhiniyam, 1970.	For Section 35, the following Section shall be substituted, namely:- "35. Penalty. - Whosoever wilfully or falsely assures or uses any title or description on or any addition to his name implying that he holds a recognised qualification or that he is a registered practitioner or that his name is entered in the list maintained under Section 28 or acts in contravention of the provisions of Section 34 shall be liable with a penalty which may extend to fifty thousand rupees for the first contravention and with a penalty which may extend to one lakh rupees for every subsequent contravention."
6.	1973	24	The Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972.	(1) For section 48, the following Section shall be substituted, namely:- "48. Penalty for contravention of Section 6 or Section 31 or sub-section (2) of Section 37. - (1) When it comes to the notice of the Secretary of a Market Committee that any person has acted in contravention to the provisions of sub-section (b) of Section 6 or Section 31 he may after conducting suitable enquiry and giving the person an opportunity of being heard, may impose a penalty of one lakh rupees for the first contravention and such amount shall be recovered. Subsequent contravention shall, on conviction, be punished with imprisonment for a term which may extend to six months or with fine which may extend to one lakh rupees, or with both.

S.No.	Year	No.	Short Title	Amendments
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				(2) Whoever contravenes the provisions of sub-section (2) of Section 37 shall, on conviction, be punished with imprisonment for a term which may extend to six months or with fine which may extend to five thousand rupees, or with both; and in the case of a continuing contravention, with a further fine which may extend to one thousand rupees per day during which the contravention is continued after the first conviction: Provided that in absence of special and adequate reasons to the contrary mentioned in the judgment of the Court the punishment for the second or any subsequent offence shall not be less than imprisonment for a term of three months and a fine of five thousand rupees." (3) In Section 49,- (i) for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:- "(1) (a) whoever has acted in contravention of the provisions of Section 35 shall be liable for a penalty of five thousand rupees and on subsequent contravention, a penalty of one thousand rupees for every day may be imposed during which such contravention is continued. The financial loss due to such contravention shall be recovered; (b) If such contravention is committed by a person working under the Secretary of Market Committee, penalty shall be imposed by the Secretary; (c) If such contravention is committed by the Secretary of a Market Committee, penalty shall be imposed by the Managing Director, Mandi Board"- (ii) for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely:- "(2) Whoever has acted in contravention to any condition of a license granted by a Market Committee, shall be liable for a penalty which may extend to five thousand rupees to be imposed by the Secretary of Market Committee." (iii) for sub-section (4), the following sub-section shall be substituted, namely:-

S.No.	Year	No.	Short Title	Amendments
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

"(4) If any officer, servant or member of a Market Committee, when required to furnish information in regard to the affairs or proceedings of a Market Committee under clause (a) of sub-section (1) of Section 54,-

(a) wilfully neglects or refuses to furnish any information; or

(b) wilfully furnishes false information, shall be liable for a penalty which may extend to one lakh rupees.

(iv) for sub-section (6), the following sub-section shall be substituted, namely:-

"(6) Any person who has fraudulently evaded the payment of any fee or other sum due to the Market Committee under the provisions of this Act or the rules or bye-laws made thereunder or evades the payment due towards remuneration to any weighman or hammad, or demands remuneration without authority of the seller or buyer for his employment or demands remuneration otherwise than in accordance with the provisions of the rules and bye-laws made under this Act, shall be liable for a penalty which may extend to five thousand rupees to be imposed by the Secretary of Market Committee and in case of subsequent contravention a penalty of one thousand rupees for every day may be imposed during which such contravention is continued:

Provided that the total penalty shall not exceed five times the actual dues."

(v) for sub-section (7), the following sub-Section shall be substituted, namely:-

S.No.	Year	No.	Short Title	Amendments
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				"(7) Whoever contravenes any provision of this Act or any rules or bye-laws made thereunder for which no other penalty is provided for, shall be liable with a penalty which may extend to five thousand rupees to be imposed by the Secretary of Market Committee." (3) sub-section (3) of Section 79 shall be omitted. (4) sub-section (3) of Section 80 shall be omitted.
7.	1973	46	The Madhya Pradesh Upcharika, Prasavika, Sahai Upcharika Prasavika Tatha Swasthya Paridarshak Registrikaran Adhiniyam, 1972.	(1) For Section 23, the following Section shall be substituted, namely:- "23. Prohibition from practice except as provided in the Act.- (1) No person shall practice as a nurse, midwife, auxiliary nurse-midwife, health visitor in the State, whether regularly or for personal gain, unless authorised under this Act. (2) Any person who contravenes the provisions of sub-section (1) possessing recognised qualification but is not registered in the Council,- (a) on first contravention, she/he shall be liable to a penalty which may extend to rupees ten thousand imposed by the Registrar. (b) on second and subsequent contraventions, she/he shall be liable to a penalty imposed by the Registrar, which may extend to rupees five hundred for each day if the contravention continues, after the expiration of thirty days: stipulated for registration with the Council."

S.No.	Year	No.	Short Title	Amendments
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8.	1973	47	The Madhya Pradesh Upcharyagriha Tatha Rujopchar Samabandi Sthapnaye (Registrikaran Tatha Anugyapan) Adhiniyam, 1973.	(1) For Section 8, the following Section shall be substituted, namely:- "8. Penalties for offences under the Act.- Any person- (1) who contravenes the provisions of Section 3; or (2) who contravenes the provisions of sub-section (2) of Section 7; or (3) who being the holder of a licence granted under this Act in respect of any nursing home or clinical establishment, uses or allows such nursing home or clinical establishment to be used for unsocial or immoral purposes or both; Shall be on verified proof of contravention- (i) on first instance, be liable for the penalty which may extend to one lakh rupees imposed by the Supervising Authority. (ii) on conviction for a second or subsequent offence be punishable with rigorous imprisonment for a term which may extend to three months and shall in addition be liable to fine which may extend to one thousand rupees for every day for which the offence continues after conviction." (2) For Section 8A, the following Section shall be substituted, namely:- "8A. Penalty for deficiencies.- Any person who contravenes any provision of this Act or rules made thereunder resulting in deficiencies that do pose any imminent danger to the health and safety of any patient which can be rectified within a reasonable time, shall be liable for a penalty which may extend to twenty thousand rupees imposed by the Supervising Authority." (3) For Section 10, the following Section shall be substituted, namely:- "10. Penalty for serving in an unlicensed or unregistered nursing home or clinical establishment.- Any person who knowingly serves in a nursing home or clinical establishment which is not duly registered or licensed under this Act or which is used for unsocial or immoral purposes shall be liable with a penalty which may extend to ten thousand rupees imposed by the Supervising Authority."

S.No.	Year	No.	Short Title	Amendments
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9.	1976	19	The Madhya Pradesh Homoeopathy Parishad Adhiniyam, 1976.	For Section 50, the following section shall be substituted, namely:- "50. Penalty. - Any person who contravenes any of the provisions of this Act or any of the rules made thereunder shall, on contravention shall be liable with penalty which may extend to twenty thousand rupees on first contravention and if the persons so contravening is an association, every member of such association who knowingly or willingly authorises or permits the contravention shall be imposed with a penalty which may extend to fifty thousand rupees on the first contravention and one lakh rupees for every subsequent contravention."
10.	1990	11	The Madhya Pradesh Ayurvigyan Parishad Adhiniyam, 1987.	For Section 24, the following section shall be substituted, namely:- "24. Penalty.- (1) If any person who holds a recognised medical qualification but whose name is not enrolled as per the provisions of this Act, practices in the State of Madhya Pradesh,- (a) on first contravention, she/he shall be liable for a penalty which may extend to rupees one lakh imposed by the Registrar. (b) on second and subsequent contraventions, she/he shall be liable for a penalty imposed by the Registrar, which may extend to two thousand rupees for each day the contravention continues, after the expiration of the stipulated sixty days period, from the date of such contravention. (2) If any person who does not hold a recognised medical qualification and whose name is not enrolled as per the provisions of this Act, or falsely claims to possess a recognised qualification or registration under this Act, practices in the State of Madhya Pradesh, she/he shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which may extend to three years and with fine which may extend to rupees two lakhs."

S.No.	Year	No.	Short Title	Amendments
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11.	1991	25	The Madhya Pradesh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991.	(1) Section 12 shall be omitted. (2) For Section 17, the following section shall be substituted, namely:- "17.General provisions for contravention of any provision of this Act or rules.- Whoever, contravenes any provision of this Act, or of any rules made thereunder shall be liable for the penalty of one hundred rupees and for any second or subsequent contravention shall be liable for the penalty which may extend to three hundred rupees."
12.	1994	1	The Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993.	(1) In Section 55, for sub-section (3-A), the following sub-section shall be substituted, namely:- "(3-A) Notwithstanding anything contained in sub-section (3) whoever contravenes any provision of this section or the rules or bye laws made thereunder or the conditions of permission granted by the Gram Panchayat or fails to comply with any lawful directions or requisition made under any of the said provisions may be prosecuted by the Gram Panchayat or the officer authorised by the State Government for this purpose and on conviction he shall be punished with simple imprisonment which may extend to six months or with fine which may extend to two thousand rupees or with both and in case of continuing offence with further fine which may extend to two hundred and fifty rupees for every day during which the offense continued after the date of first conviction: Provided that, if the unauthorised construction does not constitute a public nuisance as defined in the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (No. 45 of 2023) and is not in contravention of the provisions of the Madhya Pradesh Land Development Rules, 2012 (where applicable), and does not violate any notified environmental safety or infrastructural restrictions, such contravention may be compounded by the Gram Panchayat or the officer authorised by the State Government, on payment of such fee, at such rate, and subject to such conditions as may be prescribed by the State Government."

S.No. (1)	Year (2)	No. (3)	Short Title (4)	Amendments (5)
14.	2005	7	The Madhya Pradesh Gramin Avsanrachna Tatha Sadak Vikas Adhiniyam, 2005.	In Section 11, for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted, namely:- "(3) Making any rule under this section, the State Government may provide that a breach thereof, such penalty, which may extend to five thousand rupees and where the breach is a continuing one, with further penalty which may extend to rupees five hundred for every day after the occurrence of first contravention during which the breach continues, may be imposed."
15.	2010	3	The Madhya Pradesh Phal-Paudh Ropani (Viniyaman) Adhiniyam, 2010.	(1) For Section 14, the following section shall be substituted, namely:- "14. Penalties.- If any person - (a) Contravenes any of the provisions of this Act or rules made thereunder, the contravention of which is made punishable under this section; or (b) obstructs any officer or person in the exercise of any powers conferred or in the performance of any duty imposed on him by or under this Act. A penalty of five thousand rupees may be imposed upon such person." (2) For Section 17, the following section shall be substituted, namely:- "17. Jurisdiction of Court.- Sub-Divisional Magistrate (SDM) Revenue shall be authorized to impose penalty under this Act."
16.	1954	16	The M.P. Anatomy Act, 1954.	Section 6 shall be omitted.

Following Acts are proposed for repeal, namely:-

1. 1947 40 The Madhya Pradesh Cotton (Statistics) Act, Repealed. 1947.
2. 1954 17 The Madhya Pradesh Repealed. Cotton Control Act, 1954.
3. 1956 11 The Madhya Bharat Repealed. Regulation of Weighment of Agricultural Produce Act, 1956.
4. 1968 23 The Madhya Pradesh Repealed Chechak Tika Adhiniyam, 1968.

S.No.	Year	No.	Short Title	Amendments
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				"104. Penalty for not giving information or giving false information.- Any person required by this Act or the rules made thereunder or notice, or other proceedings issued thereunder to furnish any information omits to furnish such information or knowingly furnishing wrong information shall, after enquiry by the prescribed authority, if found to be in contravention, be liable to pay a penalty which shall extend to one thousand rupees." (6) For Section 106, the following section shall be substituted. namely:- "106. Procedure to compensate the damage to any Panchayat.- If through any act, neglect or default on account of which any person shall have incurred any penalty imposed by or under this Act and any damage to the property of any Panchayat have been caused by any such person, he shall be liable to compensate such damage, as well as to pay such penalty and the value of the damage, shall in case of dispute, be determined by the prescribed authority, by whom the person incurring such penalty has been found to have committed a violation and on non-payment of such value on demand, the same shall be recoverable as arrears of land revenue."
13.	2002	15	The Madhya Pradesh Jan Shiksha Adhiniyam, 2002.	In Section 4, for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely:- "(2) Any person who contravenes the provisions of sub-section (1) may be liable to pay penalty which may extend to rupees one thousand imposed by the Gram Sabha or local body after giving the concerned person an opportunity of being heard. In case of disagreement, the concerned parties may submit an application to the following concerned authorities- (a) For Gram Sabha - Sub-Divisional Magistrate (b) For Urban Bodies (Nagar Palika and Nagar Panchayat) -Sub-Divisional Magistrate (c) For Nagar Nigams - Collector The concerned authority shall pass an order following due administrative process."

S.No.	Year	No.	Short Title	Amendments
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				Provided that before proceeding to remove any such obstruction or encroachment, the Chief Executive Officer of Janpad Panchayat may, by a written notice, call upon the person who has caused such obstruction or encroachment to remove it within the time specified in the notice, or show cause as to why the same shall not be removed. (2) Nothing in this section shall prevent a Janpad Panchayat from allowing any temporary occupation of erection on the places mentioned in sub-section (1) on occasions of festivals and ceremonies for such period as it may deem fit, in such manner so as not to cause inconvenience to the public or any individual." (3) For Section 102, the following section shall be substituted, namely:- "102. Prohibit against obstruction of member etc. of Panchayats.- Whoever obstructs any member, office-bearer or servant of a Panchayat or any person with whom a contract has been entered into by or on behalf of a Panchayat in the discharge of his duties or anything shall, after enquiry by the prescribed authority, if found to have obstructed any member etc., be liable to pay a penalty which shall extend to rupees two thousand." (4) For Section 103, the following section shall be substituted, namely:- "103. Prohibition against removal or obliteration of notice.- Whoever without authority in that behalf removes, destroys, defaces or otherwise obliterates any notice exhibited or any sign or mark erected by or under the order of a Panchayat or any of its officers shall, after enquiry by the prescribed authority, if found to have removed/ obliterated the notice, be liable to pay a penalty which shall extend to rupees one thousand." (5) For Section 104, the following section shall be substituted, namely:-

S.No.	Year	No.	Short Title	Amendments
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				(2) In Section 56, for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely: - "(1) Whoever within the Gram Panchayat area causes any hindrance, obstruction or encroachment over any public street or open site or upon any drain in such street,- (a) by building or setting up any wall, fence, rail, post, stall verandah, platform, plinth, step or any other structure; or (b) without written permission of the Gram Panchayat or contrary to the conditions mentioned in such permission by putting up any verandah, balcony, room or other structure so as to project over any public street or upon any drain in such street; or (c) by unauthorizedly removing earth, sand or other material from any site; or (d) by unauthorizedly cultivating any grazing or other land; may, after enquiry by the Gram Panchayat, if found to have committed such acts, be liable to pay a penalty which may extend to rupees five thousand and in case of continuing contravention with further penalty which may extend to rupees two hundred for everyday during which such encroachment, obstructions or projection continues after the date of first imposition of penalty." (3) For Section 60, the following section shall be substituted, namely:- "60. Encroachment upon road and land vested in Janpad Panchayat.- (1) The Chief Executive Officer of Janpad Panchayat shall have power to remove any obstruction or encroachment on any road, street land, building or structure vested in Janpad Panchayat. The person responsible for such obstruction or encroachment shall be liable to pay the expenses incurred for its removal and a penalty upto rupees five thousand. If such person fails to pay the removal expenses and/or the penalty, the same shall be recoverable as arrears of land revenue: